न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 सौम्या झा
आई0ए0एस0

प्र.सं. 16/2026 प्रार्थना पत्र स्थानांतरण

1. केदार पुत्र रामकिशन
2. बिहारी पुत्र रंगलाल

समस्त जाति मीना निवासी गढौरा तहसील बैरावण्डा

....प्रार्थीगण

बनाम

1. कैलाश पुत्र मंगुराम
2. हरगोविन्द पुत्र छीतर
3. महेन्द्र पुत्र रेवड़
4. नवल पुत्रं हीरालाल
5. रामचरण पुत्र मथुरा

समस्त जाति मीना निवासी गढौरा तहसील बैरावण्डा

6. श्रीमती संजू मीना उपखण्ड अधिकारी एवं दण्डनायक दौसा

.....अप्रार्थीगण

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र विरुद्ध श्रीमती संजू मीना उपण्ड अधिकारी एवं दण्ड नायक दौसा बाबत मुकदमा संख्या 2/2024 अनुवानी सरकार बनाम गंगाबिशन कैलाश वगैरह धारा 164, 165, बी. एन. एस. एस.

उपस्थित : 1. श्री विनोद कुमार विजय, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता
3. श्री उमेश कुमार गौड, श्री अभिषेक तिवाडी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की ओर से।

—:: निर्णय ::— दिनांकः 26.5.2026

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उप जिला कलक्टर दौसा में विचाराधीन मुकदमा उनवानी सरकार बनाम गंगाबिशन वगै0 धारा 164, 165 बी.एन.एस.एस. मु. नं. 02/2024 को किसी भी दीगर उप जिला कलक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानांतरित करने हेतु प्रार्थना पत्र स्थानांतरण पेश किया गया है।
2. स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कियागया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। उप जिला कलक्टर दौसा से बिन्दुवार टिप्पणी मंगवाई गई। उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता प्रार्थीगण ने स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि मुकदमा धारा 164, 165 बी. एन. एस. एस श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के आदेश से सिकराय उपखण्ड दण्ड नायक से दौसा उपखण्ड नायक को स्थानान्तरित किया गया है। और उक्त मुकदमा अनुवानी सरकार बनाम गंगाबिशन कैलाश उपखण्ड दण्ड नायक दौसा के यहां चल रहा है। जिसमें तारीख पेशी 16.03.2026 नियत है। उपखण्ड दण्ड नायक दौसा अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 की रिश्तेदार है। और रिश्तेदार होने के नाते अप्रार्थीगण1 लगायत 5 उपखण्ड दण्ड नायक से उक्त मुकदमें का अपने पक्ष में फैसला करवाकर उक्त मुकदमें में वर्णित समस्त भूमि को कुर्क करवाकर और रिसीवर नियुक्त करवाना चाहते है। तथा उपखण्ड दण्ड नायक अप्रार्थी नंबर 1 लगायत 5 के रिश्तेदार होने के नाते उक्त भूमि को कुर्क कर और रिसीवर नियुक्त करना चाहती है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 आये दिन उपखण्ड़ दण्ड नायक दौसा से मिलते रहते है यहां तक की घर भी चले जाते है तथा उपखण्ड दण्ड नायक पर आये दिन उक्त

जिला कलेक्टर दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भूमि को कुर्क करने का दबाव बनाते रहते है। जिसकी वजह से प्रार्थी को उपखण्ड दण्ड नायक दौसा से न्याय की उम्मीद नहीं रही है। उपखण्ड दण्ड नायक अप्रार्थी नंबर 1 लगायत 5 के पक्ष में फैसला करने को आमादा है जो इस बात से भी सिद्ध है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र धारा 164, 165 बी. एन. एस. एस को विड़ा करने के लिए पेश किया था। उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने स्पष्ट लिखा था कि जिन खसरा नंम्बरान वाके ग्राम गढौरा बाबत लिखा है उन खसरा नंबरान के बहुत से खातेदार है जिन सभी को इस्तगासे में पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि कानूनन प्रत्येक प्रभावी पक्षकार को पक्षकार होना जरूरी है। साथ ही उक्त प्रार्थना पत्र में यह भी कथन किया कि इस्तगासा प्रस्तुत हुए 1 वर्ष 6 माह हो चुका। इस दौरान किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ है साथ में यह भी कथन किया कि इस्तगासें में वर्णित भूमि बाबतं न्यायालय में वाद चल रहे है राजस्व मंडल से स्टे हो रहा है। वाद व स्टे इस्तगासा पेश करने से पहले से चल रहे है। कानूनन जब किसी भूमि बाबत रेवन्यू वाद चल रहे हो और स्टे हो रहा हो तो धारा 164, 165, बी. एन. एस. एस की कार्यवाही नहीं चल सकती। इस वादग्रस्त भूमि बाबत राजस्व न्यायालय में केश चल रहे है और स्टे हो रहा है तो धारा 164, 165, बी. एन. एस. एस. की कार्यवाही विड्रा योग्य है। उक्त इस्तगासा खाता संख्या 18, 58, 975, 306, 290, 158, 130, 218, 313, 21, 187, 311, 152, 231, 333, 943, 38, 182, 237, 102, 184, 33, 125, 112, 2, 280, 305, 317, वाके ग्राम गढौरा बाबत पेश किया गया है। लेकिन इन खातों का कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया है बिना रिकॉर्ड पेश किये बिना उक्त केश विड्रा योग्य है। पुलिस ने स्वयं ने जो इस्तगासा पेश किया है उसमें राजस्व न्यायालय में केश चलना एवं केशों का फैसला होना तथा स्टे चलना माना है जब केश का राजस्व न्यायालय से निर्णय हो चुका तो उक्त केश चलने योग्य नहीं है व विड्रा योग्य है। उक्त प्रार्थना पत्र की बहस में प्रार्थीगण ने रूलीग भी पेश की एक रूलीग तो 2007 (2) आर.सी.सी पेज 470 व दूसरी रूलीग 2004 (2) आर.सी.सी पेज 1048 पेश की जिन रूलीग में स्पष्ट लिखा था कि यदि राजस्व या सिविल वाद चल रहे है तो धारा 164 165 बी. एन. एस. एस की कार्यवाही नहीं चल सकती और धारा 164 (5) में उपखण्ड दण्ड नायक को केश विड्रा करने का अधिकार था किन्तु उक्त केश को विड्रा नहीं करके और प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया । जिससे भी स्पष्ट सिद्ध है कि उपखण्ड दण्ड नायक अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 से मिली हुई है। और उक्त केश का फैसला प्रार्थी के खिलाफ करेगी। इस्तगासे में पुरे गांव के ही खातों को कुर्क करने का लिखा हुआ है कोई खसरा नंबर नहीं लिखा जिसके बारे में निवेदन करने पर भी उपखण्ड अधिकारी जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। न्याय हो रहा है ऐसा दिखना भी चाहिए। और जहां न्याय होना नहीं दिखे वहां केश की सुनवाई किया जाना न्योचित नहीं है। प्रार्थीगण को उपखण्ड दण्ड नायक से न्याय की उम्मीद नहीं है। इसलिए उक्त मुकदमें को उपखण्ड दण्ड नायक दौसा से किसी अन्य उपखण्ड दण्ड नायक को स्थानान्तरित किया जाना जरूरी है ताकि प्रार्थी को न्याय मिल सकें। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार फरमाया जाकर इस्तगासा अनुवानी सरकार बनाम गंगाबिशन कैलाश मुकदमा नंबर 2/2024 को उपखण्ड दण्ड नायक दौसा से किसी अन्य उपखण्ड दण्ड नायक को स्थानान्तरित फरमाने के आदेश प्रदान करें।

4. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 से 5 ने बहस में कथन किया कि उपखंड मजिस्ट्रेट दौसा के न्यायालय में प्रकरण की विधिवत सुनवाई की जा रही है। प्रार्थीगण ने गलत आधारों पर यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसे खारिज फरमाया जावे।
5. राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।
6. अप्रार्थी सं0 06 से रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार " प्रकरण सं0 04/2025 उनवानी सरकार बनाम गंगाबिशन वगै. प्रथम पक्ष कैलाश वगै0 द्वितीय पक्ष अंतर्गत धारा 164

उप खण्ड अधिकारी दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बीएनएसएस न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 19.3.2026 नियत है। उक्त प्रकरण के संबंध में प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये संपूर्ण आरोप मिथ्या एवं बेबुनियादी है। न्यायालय हाजा में विचाराधीन उक्त पत्रावली में उभयपक्षकारान को समान अवसर देते हुए विधिक प्रक्रिया अनुसार ही सुनवाई की जा रही है। बावजूद इसके यदि प्रार्थीगण उक्त पत्रावली को अन्यत्र स्थानान्तरित करवाना चाहते है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। स्थानान्तरण के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी। ''

7. हमने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
8. प्रार्थीगण केदार पुत्र रामकिशन एवं बिहारी पुत्र रंगलाल द्वारा यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दौसा में लंबित धारा 164/165 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 से संबंधित मूल प्रकरण को अन्य सक्षम उपखण्ड मजिस्ट्रेट को स्थानान्तरित किया जाए।
9. प्रार्थीगण द्वारा मुख्यतः यह कथन किया गया है कि पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दौसा का अप्रार्थीगण से संबंध/निकटता है तथा इस कारण उन्हें निष्पक्ष सुनवाई की आशंका है। प्रार्थीगण द्वारा यह भी कहा गया है कि अप्रार्थीगण पीठासीन अधिकारी से मिलते हैं तथा प्रकरण में कुर्की/रिसीवर नियुक्ति हेतु दबाव बना रहे हैं।
10. अभिलेख से यह प्रकट है कि विचाराधीन मूल प्रकरण पूर्व में ही श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के आदेश से उपखण्ड दण्डनायक, सिकराय से उपखण्ड दण्डनायक, दौसा को स्थानान्तरित किया जा चुका है। वर्तमान प्रार्थना पत्र द्वारा उसी प्रकरण को पुनः उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दौसा से किसी अन्य उपखण्ड मजिस्ट्रेट को स्थानान्तरित करने की मांग की गई है।
11. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दौसा द्वारा प्रस्तुत बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 16.03.2026 का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट में पीठासीन अधिकारी पर लगाए गए आरोपों को मिथ्या एवं निराधार बताया गया है तथा यह भी अंकित किया गया है कि दोनों पक्षों को विधि अनुसार समान अवसर देते हुए प्रकरण की सुनवाई की जा रही है। यद्यपि रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि यदि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पत्रावली अन्यत्र स्थानान्तरित की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं होगी, तथापि मात्र अनापत्ति को स्थानान्तरण का पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता।
12. स्थानान्तरण का आदेश केवल पक्षकार की व्यक्तिपरक आशंका या असिद्ध आरोपों के आधार पर पारित नहीं किया जाना चाहिए। पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध लगाए गए पक्षपात/रिश्तेदारी/दबाव संबंधी आरोपों के समर्थन में प्रार्थीगण द्वारा कोई स्वतंत्र, विश्वसनीय अथवा अभिलेखीय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। मात्र सामान्य आरोपों के आधार पर, विशेषतः जबकि प्रकरण पूर्व में एक बार सिकराय से दौसा स्थानान्तरित हो चुका है, पुनः स्थानान्तरण किया जाना उचित नहीं होगा। ऐसा करने से प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब तथा मंच–चयन बार–बार स्थानान्तरण की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलेगा।
13. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में मूल प्रकरण के गुण–दोष, कब्जे, कुर्की, रिसीवर नियुक्ति, धारा 164(5) **BNSS** की आपत्ति अथवा पक्षकारों के राजस्व/सिविल अधिकारों पर कोई अभिमत व्यक्त नहीं किया जा रहा है। उक्त सभी प्रश्न विचाराधीन मूल प्रकरण में सक्षम कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलेख एवं विधि अनुसार विचारित किये जाने हैं।
14. अतः उपलब्ध अभिलेख एवं परिस्थितियों में स्थानान्तरण हेतु पर्याप्त आधार सिद्ध नहीं पाए जाने से प्रार्थीगण का स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दौसा को निर्देशित किया जाता है कि वे मूल प्रकरण में पक्षकारों को समुचित अवसर प्रदान करते हुए, धारा 164(5) **BNSS** सहित सभी लंबित आपत्तियों तथा प्रस्तुत राजस्व/सिविल न्यायालयों के आदेशों

जिला कलक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

का विधि अनुसार परीक्षण कर, प्रकरण का शीघ्र एवं कारणयुक्त निस्तारण करें। निर्णय की प्रति उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दौसा को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(डॉ0 सौम्या झा)
जिला कलक्टर दौसा

निर्णय आज दिनांक 26.5.2025 को लिखवाया जाकर मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(डॉ0 सौम्या झा)
जिला कलक्टर दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official